शपथ-पत्र

मैं नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता निवासीः ग्राम - बरगवां, पोस्ट - डगा बरगवां, जिला - सिंगरौली, मध्य प्रदेश (Mob. 77718-22877) का मूल निवासी हूँ, मैं एक पैर से जन्मजात विकलांग होने के साथ-साथ बेरोजगार व बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ|

मेरे घर की माली हालत बहुत अधिक खराब होने के कारण मैंने खुद की प्रारंभिक पढाई गावं के सरकारी विद्यालय में पूरी की है, स्नातक की पढाई भोजमुक्त विश्वविद्यालय, शाखा - देवसर, जिला - सिंगरौली, मध्य प्रदेश से पूरी की है तथा आई.ए.सी.एम. संस्थान शाखा वैढ़न से कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग के साथ-साथ नेटवर्किंग सिक्यूरिटी का कोर्स भी किया है|

आई.ए.सी.एम. संस्थान (मुख्य शाखा - साऊथ-एक्स, पार्ट-1, नई दिल्ली) में हर दिन कई प्राइवेट कंपनीयों द्वारा इंटरव्यू होता रहता हैं और बेरोजगार विद्यार्थियों को नौकरियाँ दिलाई जाती हैं इसलिए मैं खुद की पढाई पूरी करके आई.ए.सी.एम. संस्थान, नई दिल्ली में नौकरी के लिए गया था| जहाँ मेरी मुलाकात सुरेश महतो से हुई, सुरेश महतो ने भी आई.ए.सी.एम. से ही खुद की पढाई पूरी की थी और वो मेरे साथ ही इंटरव्यू में भी समलित हुआ करता था|

आई.ए.सी.एम. संस्थान में एक दिन IBM इन्फोसर्विस कंपनी द्वारा नौजवानों को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा था, जहाँ मेरे साथ-साथ सुरेश महतो ने भी इंटरव्यू दिया और IBM इन्फोसर्विस कंपनी में हमारा चयन हो गया| उक्त नौकरी मैं व सुरेश महतो मात्र 40 दिन ही कर पाये क्योंकि नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट ही 3 माह का था और सारे नौजवानों द्वार वह कार्य सिर्फ 40 दिनों में ही पूरी कर लिया गया था।

मेरे और सुरेश महतो द्वारा एक साथ दुबारा आई.ए.सी.एम. संस्थान में नौकरी के लिए इंटरव्यू देना प्रारंभ किया गया, जहाँ एक दिन दूसरी कंपनी 'वर्गो साफ्ट' में UID प्रोजेक्ट द्वारा कंपनी में कार्य के लिए हमारा चयन हो गया और इस तरह एक बार फिर से मुझे और सुरेश महतों को एक साथ, एक दुसरी कंपनी में कार्य करने का मौका मिला जिससे मेरी और सुरेश महतो की पहचान, दोस्ती व लगाव बढ़ता गया| उक्त नौकरी भी ज्यादा दिन न रही महज 6 माह के अन्दर उक्त नौकरी भी चली गई क्योंकि उक्त नौकरी भी कांन्ट्रैक्ट में थी|

जिसके बाद मैंने तीसरी बार फिर से आई.ए.सी.एम. संस्थान द्वारा एक तीसरी कंपनी ए.&जी. कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के लिये इंटरव्यू दिया और मेरा चयन हो गया मगर इस बार सुरेश

महतो को इस कंपनी में नौकरी नहीं मिली और मुझे ए.&जी. कंपनी के द्वारा कोल्हापुर महाराष्ट्र में पोस्टेड कर दिया गया, इस तरह से मेरा, सुरेश महतो व दिल्ली का साथ छुट गया और मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र चला आया|

मेरे द्वारा किये गये कार्य को बड़े ही ईमानदारी व मेहनत से जाना जाता रहा था| मात्र मैं ही नहीं, वरन हर नौकरी तलाश करनें वाले नौजवन की इच्छा होती है कि वह एक मल्टीनेंशनल कंपनी में एक कर्मचारी बने मगर तभी एक दौर ऐसा आया जब दिनांक 15 फरवरी 2013 को सुरेश महतो ने खुद के मोबाइल नं0 09716218796 से मेरे मोबाइल पर फोन करके विप्रो कंपनी में स्थाई नौकरी की बात बताई और कहा की 20,000 रु बतौर सिक्योरिटी मनी देनें पर और इंटरव्यू देने पर विप्रो कंपनी में स्थाई नौकरी मिल जाएगी, यह भी बताया कि, सिक्यूरिटी मनी भी रिफंडेवल चेक के द्वारा वापस हो जायेगी|

जब मैंने सुरेश महतो के बातों पर विश्वास नहीं किया, तो सुरेश महतो ने खुद को प्राप्त विप्रो कंपनी का ऑफर लेटर एवं ईमेल-आईडी (srinivasan@recruitment-wipro.com) मुझे दिखाई और कहा की नौकरी करना है, तो सिक्योरिटी मनी दे दो| चूँकि ऑफर लेटर एवं ईमेल-आईडी गलत नहीं थी और विप्रो कंपनी के ही थी जिससे मैं सुरेश महतो के झाँसे में आ गया| तब सुरेश महतो ने खुद के मोबाईल से मेरे मोबाइल पर दिनांक 19/02/2013 को समय 9:37 बजे एक एस.एम.एस. करके आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अकाउंट नं. 082401500489 (मुदुल घोष) भेजा|

इसके बाद सुरेश महतो ने मेरे मोबाइल पर एक और एस.एम.एस. दिनांक 19/02/2013 को समय 13:16 बजे एक्सिस बैंक का अकाउंट नं0 911010036113712 (सांडील्या आलोक कुमार सिटी सेन्टेल ब्रांच धनबाद) भेजा और पैसे इस बैंक खाते में रकम जमा करने के लिये कहा| *जिसके बाद मैंने खुद के एक्सिस बैंक खाते नं० 912010037454842 से बैंक खाते नं० 911010036113712 में खुद के ए.टी.एम. कार्ड नं. 4179 1700 1333 8759 से रकम ट्रांसफर (पताः एक्सिस बैंक, ब्रांच ATM राजा रामपूरी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र) किया की जो निम्न प्रकार से है :-*

1) TRF-ATM/911010036113712/21/41190213/213, पर

8500 रू. दिनांक 2013-02-19 समय 21:38:15

2) TRF-ATM/911010036113712/2235/200213/135, पर

1500 रू. दिनांक 20-02-2013 समय 14:10:51

3) TRF-ATM/911010036113712/1885/240213/174, पर

10000 रू. दिनांक 24-02-2013 समय 17:42:26

दिनांक 21/02/2013 को विप्रो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा फोन पर ही मेरा इंटरव्यू लिया गया और उसके बाद दिनांक 24/02/2013 को विप्रो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा विप्रो कंपनी के ईमेल-आईडी से मेरे ईमेल-आईडी पर मेरे नाम का कंपनी का ऑफ़र लेटर दिया गया| जो ईमेल-आईडी

B.R. Oath Commissioner District Court Vaishali

N.K. Gupta 24-10-18

srinivasan@recruitment-wipro.com से मुझे प्राप्त हुआ ऑफ़र लेटर पासवर्ड प्रोटेक्टिड है जिससे कोई भी न तो उसके अन्दर कुछ बदल सकता है और न प्रिंट कर सकता है|

जब यह ऑफर लेटर मुझे मिला उस वक्त मैं A & G इंडिया कंपनी में काम कर रहा था और ऑफर लेटर मिलने के बाद मैंने कंपनी प्रबंधन को खुद का इस्तीफा दे दिया मगर इस्तीफा देने के 15 दिन के बाद सुरेश महतो ने मुझे बताया की, "विप्रो कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में अभी 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा"| इस वजह से मैं खुद के घर आ गया और विप्रो कंपनी के बुलावे का इंतजार करने लगा| 3 महीनें का समय गुजर जानें के बाद मैंने सुरेश महतो से बात की, तब सुरेश महतो ने मुझे आलोक सांडील्य का मोबाइल नं. 08961596670 दिया और उनसे बात करने के लिये कहा, आलोक सांडील्य से बात करने के बाद विप्रो कंपनी में मेरी ज्वायनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई|

विप्रो कंपनी के द्वारा दिनांक 18/06/2013 को मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें मुझे मेरा मेडिकल चेकअप करवाने की बात कही गयी थी, जो मैंने दिनांक 21/06/2013 को खुद की मेडिकल चेकअप करा कर उसकी रिपोर्ट विप्रो कंपनी को ईमेल के माध्यम से भेज दी जिसके बाद दिनांक 26/08/2013 को विप्रो कंपनी के द्वारा एक ईमेल जिसमे सिनर्जी अकाउंट दिया गया, जिसके साथ में मेरी लॉगिन आईडी- 8740065472 और पासवर्ड- wipro@123456 भी मुझे प्राप्त हुआ| ईमेल के द्वारा यह भी बताया गया की यह सिनर्जी अकाउंट 28 कार्य दिवस पूरे होने पर वेबसाइट (https://synergy.wipro.com/NASApp/com/SynergyLogin.jsp) पर चालू होगा लेकिन निर्धारित समय पर यह सिनर्जी अकाउंट चालू नहीं हुआ|

अलोक कुमार सांडील्या के द्वारा मुझे ऑफ़र दिया गया, कि मैं एक या दो लडको को और रखूँ, तो मेरी पोस्ट अपग्रेड कर एक बड़ा पोस्ट दिया जायेगा| दिनांक 10/10/2013 को ईमेल के द्वारा ये बताया गया की मेरी पोस्ट अपग्रेट कर दी गई है, जिसका रिक्वेस्ट नं.- H876400-H37 है|

लेकिन जब मैंने विप्रो कंपनी को और लडकों को न देने की बात कही तो कंपनी ने इसी ईमेल के द्वारा बताया की अगर आपने खुद के कमिटमेंट को 48 घंटे में पूरा नहीं किया, तो आपकी ज्वायनिंग की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जायेगा| तब मैंने दिनांक 11/10/2013 को एक ईमेल के द्वारा कंपनी से ये जानकरी मांगी की मेरे द्वारा कंपनी से जो भी कमिटमेंट किया गया है, उसे ईमेल के द्वारा बताया जाये।

मैंने विप्रो कंपनी को सख्त चेतावनी दी कि, "अगर मुझे और मेरे दोस्तों (सुरेश महतो और पवन नारवाल) की ज्वायनिंग कंपनी में नहीं हुई, तो मैं इसके लिए कोर्ट में जाऊँगा, जिसके लिए मेरे पास पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं"| अब तक मुझे आभास हो चूका था कि, मेरा भविष्य चौपट हो चुका है उसके बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया की इन सब को पकडवा कर कानून के हवाले करूँगा|

इसके लिए सबसे पहले मैंने सुरेश महतो के द्वारा जो दो बैंक अकाउंट नं. दिए गए थे, उनकी डिटेल निकालने के लिए *दोनों बैंको के कर्मचारियो से गुप्त रूप से संपर्क किया और उन लोगों की जानकारी हासिल की, जो निम्न प्रकार से है:*

B.R. Jalaswal
Oath Commissioner
Distric Court

N.K. Gupta
24-10-18

1. आलोक कुमार सांडिल्य, खाता नं0 911010036113712, एक्सिस बैंक, शाखा - सिटी सेंटर धनबाद बिहार, मोबाइल नं. 09088013796, 08961596670 और ईमेल आई0डी0 shandilyaalokekumar@gmail.com

2. मुदुल घोस और मौसमी कोल, ज्वाइंट अकाउंट, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक. खाता नं. 082401500489, पता- रमाकांत मिस्त्री, मेन ग्राउंड फ्लोर, मुर्चिपारा ईस्कोयर कोलकता, मोबाइल नं. 08443926007 और ईमेल-आईडी rocks.jesuschrist@gmail.com

दिनांक 19/11/2013 को कंपनी प्रबंधन को एक ईमेल के द्वारा चेताया की, "अगर मैं उक्त जानकारी हासिल कर सकता हूँ तो विप्रो कंपनी के साथ क्या नहीं कर सकता" इसलिए मैंने विप्रो कंपनी से अनुरोध भी किया कि, "मुझे और मेरे दोस्तों की ज्वाइनिंग कर हम सबके भविष्य को ख़राब होने से बचा लिया जाये" किन्तु विप्रो कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया|

दिनांक 22/11/2013 को विप्रो कंपनी द्वारा मुझे भेजे गये एक ईमेल द्वारा समझाने की कोशिश की गई पर जब मैं नहीं माना तो दिनांक 25/11/2013 को एक अन्य ईमेल के द्वारा मेरी ज्वाइनिंग की प्रोसेस (Notice Reference No 40954-H213) को फिर से चालू किया गया और मुझसे दुबारा प्रमाण पत्र की मांग की गई|

दिनांक 26/11/2013 को मैंने ईमेल के माध्यम से विप्रो कंपनी को एक महीने का समय देते हुये कहा कि, "उक्त समय में अगर मेरा और मेरे दोस्तों की ज्वाइनिंग विप्रो कंपनी में नहीं हुई तो भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा"। तदुपरांत दिनांक 11/12/2013 को ईमेल के द्वारा विप्रो कंपनी प्रबंधन ने मुझे चेतावनी दिया गया कि, आप खुद के प्रमाण पत्र को प्रमाणित करें" जिस पर मैंने इसका सत्यापन दिनांक 12/11/2013 को एक ईमेल के द्वारा भेज दिया"।

दिनांक 24/11/2013 को मेरे द्वारा विप्रो कंपनी की ईमेल-आईडी (helpdesk.recruitment@wipro.com) पर ऑफ़र लेटर भेज कर खुद की जोइनिंग की स्थिति के बारे में जानकारी की मांगी की गई। जिस पर विप्रो कंपनी के तरफ से दिनांक 13/01/2013 को मुझे एक ईमेल के माध्यम से जानकारी दी गई कि, "जिस ईमेल-आईडी से ऑफर लेटर मुझे दिया गया है वो ईमेल-आईडी और ऑफर लेटर गलत है, जिसका विप्रो कंपनी से कोई सम्बन्ध नहीं है"|

तब मैंने विप्रो कंपनी से प्रमाणित करने को कहा गया कि, "जिस ईमेल-आईडी से ऑफर लेटर मुझे प्राप्त हुआ है वह गलत कैसे है?" इस जवाब में विप्रो कंपनी द्वारा मुझे नजदीकी 'पुलिस स्टेशन में FIR करने को कहा गया'|

मेरे एक जानकर ने सलाह दी कि उक्त घटना की जानकारी विप्रो कंपनी के शिकायत बोर्ड (Complaint Board) की वेबसाईट पर डालकर जानकारी प्राप्त करें। जिससे मेरे द्वारा दिनांक 18/02/2014 को विप्रो कंपनी के शिकायत बोर्ड से सारी जानकारी माँगने पर विप्रो कंपनी प्रबंधन के द्वारा दिनांक 19/02/2014 को मुझे जानकारी दी गई कि, "गलत ईमेल-आईडी किस साइट से बनती है" ।

B.R. Jaiswal
Oath Commissioner
District Court

जानकारी साझा करने के लिए कंपनी की कम्पलेंन बोर्ड की साइट के द्वारा मुझे एक एस.एम.एस. प्राप्त हुआ, जिसमे एक फेसबुक की लिंक थी इस लिंक पर मुझसे मेरा मोबाइल नंबर देने की बात कही गई, तब मैंने खुद के मोबाइल नं. 07771822877 और ईमेल-आईडी neeraj.gupta615@gmail.com, विप्रो कंपनी के शिकायत साईंड पर साझा कर दिया जिससे विप्रो के शिकायत अटेंडर सौरभ आचार्या द्वारा मोबाइल नं. 09051923234 से मेरे मोबाइल पर फोन करके बताया गया कि, "मैं विप्रो कंपनी का शिकायत अटेंडर (सौरभ आचार्या) हूँ" और आगे बताया गया कि, "आलोक कुमार शांडिल्य नाम का एक संदिग्ध मिला है जो सी.आई.डी. कोलकत्ता ब्रांच द्वारा पकड़ा गया है"| तब मेरे द्वारा विप्रो कंपनी के कम्पलेंट साइट से जानकारी की मांग की गई कि, "सी.आई.डी. कोलकत्ता ब्रांच द्वारा आलोक कुमार शांडिल्य को पकड़े जाने की खबर सही है?" तब दिनांक 21/02/2014 को विप्रो कंपनी की कम्पलेंट साइट पर इस बात को सत्यापित किया गया।

वहीं दूसरी तरफ दिनांक 19/02/2014 को कंपनी प्रबंधन के ईमेल-आईडी acharya.sourav@yahoo.in के माध्यम से मुझसे मेरे कलर प्रमाण पत्र की छाया कॉपी की मांग की गई| तब मैंने दिनांक 20/02/2014 को खुद के रंगीन प्रमाण पत्र विप्रो कंपनी को ईमेल पर भेज दिये| दिनांक 24/02/2014 को विप्रो कंपनी के शिकायत अटेंडर द्वारा ईमेल-आईडी acharya.sourav@yahoo.in से मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमे मेरे ज्वाइनिंग का समय (Documentation Date – 17th March, 2014 and Induction Date – 20th March, 2014) निश्चित था|

कंपनी की कम्पलेंट बोर्ड के फेसबुक साइट से ये बताया गया की मुदुल घोष नाम का एक और संदिग्ध पकड़ा गया है और ये सारी प्रतिक्रिया CID कोलकाता ब्रांच के द्वारा की जा रही है| यह भी बताया गया की आलोक कुमार के द्वारा 200-500 नौजवानों और मुदुल घोष के द्वारा 6000 नौजवानों के भविष्य ख़राब किया जा चुका है|

विप्रो कंपनी के शिकायत अटेंडर सौरभ आचार्य द्वारा दी गई जानकारी निम्नानुसार है :-

1. अलोक कुमार शांडिल्य धनबाद / कोलकता (200-700 बेकसूर नौजवानों की भविष्य ख़राब किया है)
2. मृदुल घोष, कोलकता/दिल्ही /पुणे/मुम्बई (6000 बेकसूर नौजवानों की भविष्य ख़राब किया है)
3. मनोज कुमार, धनबाद / कोलकता (अभी नहीं पकडे गए)
4. आशीष चन्द्र, धनबाद / कोलकता (अभी नहीं पकडे गए)

सौरभ आचार्या द्वारा मुझे नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR करने के लिए कहा जिससे इस प्रक्रिया को मजबूती मिल सके तब मेरे द्वारा थाना-प्रभारी बरगवां को घटना की सारी जानकारी दी गई| इस पर थाना-प्रभारी ने कहा की, "अगर CID कार्य कर रही है, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं" |

B.R.
Oath Commissioner
District Court

N.K. Gupta
24-10-16

सौरभ आचार्य द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि, "मुदुल घोष के राजनीतिक पार्टी से अच्छे संबंध होने के कारण इस मामले की जाँच करने में अड़चन आ रही है (उससे हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग मेरे द्वारा यू-टूयब पर अपलोड किया गया है)| तभी दिनांक 27/02/2014 को मेरे दोस्त पवन नारवल के ईमेल-आईडी Pk.narwal.14@gmail.com पर को विप्रो कंपनी के ईमेल-आईडी resourcing.infotech@wipro.com से दुबारा सिनर्जी अकाउंट Synergy User Name :599080 आया, जिसमें साइट (https://synergy.wipro.com/CandidateWILogin.html) में खुलने की बात कही गयी थी और कुछ समय पश्चात पासवर्ड भी आ गया जिसके बाद विप्रो कंपनी के द्वारा दिए गए सिनर्जी खाते की लिंक में खुल भी गयी|

दिनांक 11/03/2014 को विप्रो कंपनी के एक ईमेल-आईडी mahima.hegde@wipro.com के माध्यम से मेरे दोस्त पवन नारवल को कॉल लेटर (Contact Person: Dhruv) दिया गया लेकिन जब मेरे द्वारा इस बारे में दिनांक 13/03/2014 को विप्रो कंपनी के ईमेल-आईडी (helpdesk.recruitment@wipro.com) से जानकारी की मांग की गई तो उल्टे विप्रो कंपनी प्रबंधन द्वारा दिनांक 19/03/2014 को मुझ पर ही आरोप लगाया कि, "मैं विप्रो के किसी कर्मचारी से मिले हुए हूँ और विप्रो कंपनी द्वारा मुझसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में F.I.R. करने के लिए कहा गया"|

अब तक मुझे यह समझ में आ चुका था कि, "विप्रो कंपनी के प्रबंधक का ही यह षडयंत्र है जो बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है जिसकी वजह से मैं इस मामले के सारे साक्ष्यों का वीडियो बनाने के लिए दिल्ली रवाना हो गया| *वहां मैंने सारे साक्ष्यों की वीडियो बना कर दिनांक 16/04/2014 को यू-ट्यूब में 'WIPRO START TO CHEAT INNOCENCE PEOPLE PA RT 1 OF 5' के नाम से अपलोड करके निम्न लिंक विप्रो कंपनी को भेज दी:*

- **Inside Story of Wipro Company**
  https://www.youtube.com/watch?v=NZLGQdDoukU
- **Who is give me offer Latter by E-mail**
  https://www.youtube.com/watch?v=v1sVRjwULWk&feature=youtu.be
- **Conversation between Neeraj Gupta and Wipro Company by E-mail**
  https://www.youtube.com/watch?v=HwT6nUt1cow&feature=youtu.be
- **About Complain Board of Wipro Company Side**
  https://www.youtube.com/watch?v=zxsBuUz0ImE&feature=youtu.be
  https://www.youtube.com/watch?v=ZDzRBZDUYRg&feature=youtu.be
  https://www.youtube.com/watch?v=bwZXaVLZADw&feature=youtu.be
- **Conversation between Neeraj Gupta and aloke shandilya (Voice Record)**
  https://www.youtube.com/watch?v=u6lk_xGSboo
- **Saurev Acharya was connected me on Complain Board of Wipro Company (Voice Record)**

B.R. Jaiswal
Oath Commissioner
District Court

N.K. Gupta
24-10-16

https://www.youtube.com/watch?v=DDteNJGbsoA
https://www.youtube.com/watch?v=JkJu9pS0yIo
https://www.youtube.com/watch?v=8l-cnKacnQg
https://www.youtube.com/watch?v=_Hu7aMMp4MI
https://www.youtube.com/watch?v=rcQbftpOKx0
https://www.youtube.com/watch?v=AISGNhMFqR8
https://www.youtube.com/watch?v=B5zquEGRLyE
https://www.youtube.com/watch?v=h-2xu6DALbo
https://www.youtube.com/watch?v=OdyTt2P7RaQ
https://www.youtube.com/watch?v=NZaS4K7y91o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vSadQG6WKT4

- **Conversation between Me and CSP Singrauli**
  https://www.youtube.com/watch?v=X0Yyd7TJZ50&feature=youtu.be
- **Conversation between me and cyber crime cell**
  https://www.youtube.com/watch?v=PwRRKz7N7Mk&feature=youtu.be
  https://www.youtube.com/watch?v=2VcN5aoSzbk&feature=youtu.be
- **Conversation between me and Ajay Singh, who is accepting to responsible back to give me my loss carrier**

https://www.youtube.com/watch?v=9FzEhExbPo8
https://www.youtube.com/watch?v=CGfNIf_RbFU
https://www.youtube.com/watch?v=kHUvFkVR0VA
https://www.youtube.com/watch?v=d8C3i6-SYww

इसके बाद मैंने खुद के लिए दूसरी कंपनी में नौकरी की तलाश शुरू कर दी, दिनांक 18/06/2014 को मुझे दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई जिसकी ज्वाइनिंग अगले दिन थी, किन्तु उसी दिन मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोगों द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा है जिसकी वजह से मैंने मेरी जान की परवाह करते हुये किसी अनहोनी की आशंका से पहले से बनाये हुये एक शिकायती पत्र को मेरे एक दोस्त को देते हुए कहा की, "इसे प्रधानमन्त्री को निबंधित डाक से भेज देना", पत्र देने के बाद मैं छुप-छुपा कर दिल्ली से भाग गया और मेरे उस दोस्त ने दिनांक 19/06/2014 को प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र की रजिस्ट्री कर दी|

दिनांक 02/07/2014, को मेरे द्वारा उक्त घटना की शिकायती सायबर क्राइम सेल मंदीर मार्ग को कोरियर द्वारा बरगवां से पत्र प्रेषित किया गया, साइबर क्राइम सेल के द्वारा मुझे एक शिकायत क्र. – C-2621/DCP/EOW जो ईमेल-आईडी (cybercell.eow12@gmail.com) से प्राप्त हुआ |

इस प्रकरण पर कुछ कार्यवाई नहीं हुई है जिसके बाद मेरे द्वारा दिनांक 02/11/2014 को माननीय प्रधान मंत्री जी को पुनः स्मारण पत्र देकर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया लेकिन कोई कार्यवाई नहीं की गई जिसके कारण मुझे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ा|

मेरे द्वारा दिनांक 12/05/15 को माननीय उच्च न्यायलय जबलपुर में उक्त मामले में एक जनहित याचिका दर्ज कराई गई जिस पर माननीय उच्च न्यायाय द्वारा मामला क्रमांक WP-8239/2015 में संज्ञान लेते हुए दिनांक 03/08/15 को आदेशित किया गया कि, 'फरियादी द्वारा निचली न्यायालय में एक अपराधिक मामला दर्ज कराया जाये'| जिसके बाद मैंने दिनांक 24/09/15 को माननीय मजिस्ट्रेड राम प्रसाद सिंह महोदय (प्रथम श्रेणी) देवसर के न्यायालय में एक आपराधिक मामला 5 अरोपिओं (1. अज़ीम प्रेमजी मुख्य प्रबंधक विप्रो कंपनी, 2. सुरेश महतो, 3. अलोक कुमार संधिल्या, 4. मृदुल घोष, 5. सौरभ आचार्य) के खिलाफ धारा क्र. 204, 311, 419, 420, 467, 468, व 34 IPC के तहत मामला दर्ज कराया जिस पर मजिस्ट्रेड महोदय द्वारा उक्त मामले में संज्ञान लेते हुए दिनांक 05/05/16 को 2 अरोपिओं (सुरेश महतो व आलोक कुमार संधिल्या) के खिलाफ धारा 420, 465, 120-बी के तहत मामला पंजीबध्य किया गया जिस पर मेरे द्वारा उक्त मामले की पुनर्विचार याचिका जी.एस. नेताम महोदय अपर जिला न्यायाधीश, देवसर के न्यायालय में दर्ज कराई गई जिस पर दिनांक 08/08/16 को उक्त परिवाद के शेष समस्त अरोपिओं (अज़ीम प्रेम जी, मृदुल घोष व सौरभ आचार्य) के खिलाफ 'सबब बताओ' नोटिस जारी किया गया, किन्तु आज तक न तो किसी प्रत्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय में कोई नोटिस का जबाब दिया गया और न ही किसी अरोपी को पकड़ा गया।

इसके विपरीत जी.एस. नेताम अपर जिला न्यायाधिश द्वारा मुझे धमकियाँ दी गई कि, "मेरे द्वारा प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी के खिलाफ झूठा मामला माननीय न्यायालय में दर्ज कराया गया है जिसके खिलाफ प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी मेरे खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 193 के तहत उच्च न्यायालय जायेंगे"| जिस पर मेरे द्वारा जी.एस. नेताम अपर जिला न्यायाधिश की शिकायत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में की गई जिसपर जाँच कर रहे माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश चंद मिश्रा महोदय वैढन द्वारा पाया गया कि, मेरे द्वारा न्यायाधीश महोदय जी.एस. नेताम पर लगाये गए सारे आरोप सत्य व सही हैं जिस पर उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा मेरी शिकायत पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 07/08/18 को न्यायाधीश महोदय जी.एस. नेताम को निलंबित कर दिया गया हैं|

मेरे द्वारा माननीय जी.एस. नेताम अपर जिला न्यायाधिश के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि, "माननीय जी0एस0 नेताम अपर जिला न्यायाधिश द्वारा उक्त पंजीकृत मामला क्र. 621/16 को दवाने / वापस लेने के लिये प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी से करोड़ों रुपये ले कर खुद के पत्नी की नौकरी छुड़वाकर 'इंडियन ऑयल' नाम से एक पेट्रोल पम्प नौगड़, सिंगरौली, जिला सिंगरौली में खुलवाने जा रहे हैं|

मेरे द्वारा उक्त पुनरीक्षण मामला क्र. 500088/16 के ट्रांसफर आवेदन जिला एवं सत्र न्यायालय, वैढन, जिला सिंगरौली में दर्ज कराया गया जिस पर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 05/05/17 को आदेशित किया गया कि, "उक्त पुनरीक्षण मामला क्र. 500088/16 न्यायाधीश महोदय जी.एस. नेताम द्वारा नियमित सिविल में दर्ज किया गया था जबकि मेरे द्वारा उक्त पुनरीक्षण मामले में दर्ज कराया गया था और न्यायाधीश महोदय जी.एस. नेताम ने खुद ही उक्त पुनरीक्षण मामले को ट्रांसफर करके द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह की न्यायलय में कर उसकी रिपोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय में भेज दी थी|

B.R. Jaiswal
Oath Commissioner
Distt. Court Waidhan
N.K. Gupta
24-10-18

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह की न्यायलय द्वारा उक्त पुनरीक्षण मामला क्र. 500088/16 में सुनवाई करते हुए दिनांक 06/11/17 को आदेशित किया गया कि, "समस्त आरोपियों द्वारा मामला को कारीत किया गया जिससे 6-7 हजार बेरोजगार नौजवानों के साथ फर्जीवाडा किया गया हैं| अत: उक्त परिवाद के समस्त आरोपियों के खिलाफ विधि विधान पूर्वक मामला पंजीबध्य किया जाये|

उक्त मामला पुनः न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय राम प्रसाद सिंह (प्रथम श्रेणी) न्यायलय में सुनवाई के लिया आ गया जिस पर मजिस्ट्रेड महोदय द्वारा सुनवाई करते हुए उक्त मामला को विचलित करते हुए दिनांक 12/01/18 को आदेशित किया गया कि, "उक्त मामला में पेश समस्त कम्पूटरीकृत दस्तावेज को साइबर क्राइम परिक्षण के लिए भेजा जाये"|

मेरे द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय राम प्रसाद सिंह की शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय मामले के आरोपियों के दबाव में आकर मामले को विचलित कर उक्त मामला में पेश समस्त कम्पूटरीकृत दस्तावेज़ों को साइबर क्राइम परिक्षण के लिए भेज रहे हैं जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय द्वारा दिनांक 05/05/16 के आदेश से पहले ही उक्त मामले में पेश समस्त कम्पूटरीकृत दस्तावेज़ों को साइबर क्राइम परिक्षण के लिए भेजा जा सकता था जो नहीं किया गया जिससे स्पस्ट हो जाता है कि, न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय द्वारा उक्त मामले को विचलित किया गया है मगर उच्च न्यायलय द्वारा उक्त शिकायत की जाँच जारी होने के कारण न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय राम प्रसाद सिंह पागल हो गए|

अपर जिला एवं सत्र न्यायलय द्वारा दिनांक 03/08/16 को शेष प्रत्यर्थीयों के खिलाफ जारी किये गए नोटिस की जानकारी पा कर प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी के दिल्ली अधिवक्ता मंदीप सिंह विनायक द्वारा मोबाइल नं0 9810001275 से मुझे फोन कर मामले की जानकारी ली गई जिसके बाद उन्होंने इस मामले को वापस लेने के लिए मुझसे 7 करोड़ रु. तक की पेशकश की जिसे मेरे द्वारा यह कह कर मना कर दिया गया कि, "देश के लाखों-करोड़ों बेकसूर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मैं नहीं कर सकता"|

जिसके बाद प्रत्यर्थी अजीम प्रेम जी के अधिवक्ता विनायक जी ने मुझे धमकी भरा एक असंवैधानिक लीगल नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि, "अगर मैंने नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस के अन्दर नोटिस का जबाब नहीं दिया तो मेरे खिलाफ न्यायालय में एक अपराधिक मामला दर्ज कराया जायेगा और जिसका खर्चा मुझे ही वहन करना पड़ेगा" जिस पर मेरे द्वारा प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी के अधिवक्ता विनायक जी को नोटिस का जबाब समय रहते दिया गया किन्तु प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी द्वारा न्यायालय के नोटिस का जबाब आज तक न्यायालय में पेश नहीं किया गया|

न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय द्वारा दिनांक 05/05/16 के आदेश की खबर को प्रसारित करने के लिए न्यूज़-24 के सिंगरौली संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा कैमरे पर मामले (मामला क्र. 621/16) में मेरा व मेरे अधिवक्ता का बयान लिया गया किन्तु मामले को प्रसारित करने के बजाये प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेम जी से पैसे ले कर मेरे बयान बदल कर प्रसारित करने की कोशिश की गई जिससे मुझे ही दोषी बनाया जा सके| फिर न्यूज़-24 संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा मामला प्रसारित न करने व मेरे व मेरे अधिवक्ता का वयान वीडियो वापस न करने की शिकायत मेरे द्वारा थाना-प्रभारी, बरगवां को की गई

और एक माह बाद उक्त शिकायत कलेक्टर महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय सिंगरौली को भी की गई साथ ही उक्त शिकायत पर थाना-प्रभारी, बरगवां द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी आर.टी.आई. का सहारा ले कर ली गई| जहाँ से मुझे जानकारी मिली कि, "पुलिस विवेचना में संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय ने मेरे व मेरे अधिवक्ता का वीडियो पर ब्यान लेना स्वीकार किया गया" किन्तु मामला न दिखाने का कारण बताया की, "न्यायालय की अवमानना न हो इसलिए मामला प्रसारित नहीं किया गया" जबकि अगर संवाददाता देवेन्द्र पाण्डेय ये जानता था कि, "अगर मामला प्रसारित किया गया तो माननीय न्यायालय का अवमानना होगी तो कैमरे में मामले को प्रसारित करने के लिए मेरा व मेरे अधिवक्ता का बयान मात्र आरोपियों से पैसे लेने के लिए किया गया था|

मैं ऊपर लिखी बातें अपने पूरे होशो-हवास में व बिना किसी दबाव के लिख रहा हूँ और ऊपर लिखी बातों को सत्यापित करता हूँ|

N. K. Gupta
24-10-18
DEPONENT

B.R. Jaiswal
Oath Commissioner
District Court Waidhan

नीरज गुप्ता
Mob. 77718-22877

Identified by

B.R. Jaiswal
Oath Commissioner
District Court Waidhan